कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 9(छात्रसंघ) चुनाव/अकाद/आकाशि/10/ 228 दिनांक 22 जुलाई, 2010

प्राचार्य,
राजकीय/अनुदानित/गैर अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः महाविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव–कार्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्रांक प 3(54)शिक्षा–4/2002 दि0 15–7–10 के द्वारा प्राप्त छात्रसंघ का चुनाव–कार्यक्रम की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही हैं। पत्र के प्रथम अनुच्छेद की बिन्दु सं0 5 महाविद्यालयों हेतु लागू नहीं हैं। संलग्न प्रति में दिये गये चुनाव–कार्यक्रम के अनुसार ही महाविद्यालय में चुनाव प्रक्रिया सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

विभागीय वेब साईड www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उक्त चुनाव–कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

आयुक्त

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3(54) शिक्षा–4/2002 पार्ट जयपुर, दिनांकः 15.07.2010

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
3. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर ।
4. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
5. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
7. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।
9. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर ।

JD(Acd)

I. D. No 298/PS/CCE/U
Dated 19.7.10

विषयः– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों के संबंध में ।
सदर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.1.2010,लिंगदोह समिति सिफारिशें जिन्हें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा राजस्थान विश्वविधालय जयपुर के छात्र कल्याण अधिष्ठाता का पत्र डी.एस.डब्लू./चुनाव/2010/3450 दिनांक 8.7.2010।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.6.2010 द्वारा छात्रसंघ चुनावों के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशों के बिन्दू संख्या 3 में जिन पदों के चुनाव कराये जाने हैं, उनका तथा बिन्दू संख्या 7 में चुनाव की आकृति एवं अवधि का उल्लेख किया गया है । निर्देशों के **बिन्दू सख्या 3** के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निम्नलिखित छात्रसंघ पदाधिकारियों के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होंगे :–

1. अध्यक्ष–
2. उपाध्यक्ष–
3. महासचिव–
4. संयुक्त सचिवः–
5. विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु महाविद्यालय /शैक्षणिक अनुभाग प्रतिनिधि –
6. कक्षा प्रतिनिधि–

बिन्दू संख्या 7 की व्यवस्थाओं के अनुसार छात्रसंध चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

1. मतदाता सूचियों का प्रकाशन दिनांक 16.8.2010 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)
2. मतदाता सूचियों पर आपत्ती प्राप्त करना 17.8.2010 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)
3. मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 18.8.2010 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)
4. उम्मीदवारी हेतु नामांकन पत्र दाखिल करना 19.8.2010(प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)

5. उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20.8.2010 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)

6. उम्मीदवारों की अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन 21.8.2010 (दोपहर 3.00 बजे)

7. मतदान दिनांक 25.8.2010, समय प्रातः 8.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक ।

8 मतगणना एवं चुनाव परीणामों की धोषणा तथा विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलवाना दिनांक 25.8.2010 को मध्यान्ह 2.00 बजे से कार्य समाप्ति तक ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, दिनांक 14.8.2010 तक नियमानुसार एक वर्षीय अथवा उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी नियमित विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे ।

बिन्दु सं: 5 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि महाविधालय एवं विश्वविधालयों में चुने गये कक्षा प्रतिनिधि महाविधालय/विश्वविधालय छात्र संघ के सदस्य होगें एवं उनमें से छात्र संघ कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा।

भ व दी य,

(तपेश पवार)

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव,महामहिम राज्यपाल, राजस्थान,राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री,राज.जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक मा.मंत्री, उच्च शिक्षा,राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा,राज.जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा,राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा,राज.जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ,चिकित्सा शिक्षा,राज.जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा,राज.जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा,राज.जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

सहायक शासन सचिव,उच्च शिक्षा